

# कार्यालय, अंचल अधिकारी, अड़की खूँटी।

आदेश फलक

जिला:- वाद सं०:- 448 T.R / 2020-21 सन्  
16-19

विषय:- भूमि बन्दोवस्ती नियमितकरण करने के संबंध में।

आदेश का क०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प की गई कार्रवाई के बारे में
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------


30/07/2020

जमाबंदीदार श्री/ श्रीमती रजनीत सिंह कुष पिता/ प्रति सुरजदेव सिंह कुष  
मौजा जोगोहा थाना-अड़की, जिला खूँटी के नाम से पंजी-II पृष्ठ संख्या-  
... में दर्ज है। उक्त भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०- 01 / 1988-89 के आधार पर दर्ज है।  
जमाबंदीदार सुयोग्य श्रेणी के अनुदानवासी के सदस्य है एवं भूमिहीन है। कायम जमाबंदी संदिग्ध है।

**भूमि की विवरणी:-**

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>जोगोहा</u>	289	51	683	0.80
			513	0.50
			178	0.20
			153	0.11

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक-06/भूमि का नियमितीकरण-89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें, पुनः अभिलेख दिनांक:- 07/08/2020 को उपस्थापित करें।

  
अंचल अधिकारी  
अड़की।

07/08/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया।/संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का स्थल जाँच/ भौतिक सत्यापन/ दखल-कब्जा संबंधी प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है तथा सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का पत्रांक:-06/ भूमि नियमितिकरण- 89/2020-1704/रा० दिनांक:- 15.07.2020 में यथाविहित प्रावधानानुसार भूमि के नियमितीकरण हेतु अनुशंसा किये है।

अतः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के स्थल जाँच/भौतिक सत्यापनोपरान्त/दखल-कब्जा एवं अनुशंसा के आधार पर जमाबंदीदार श्री/श्रीमती.....  
..... पिता/प्रति ..... मौजा-.....थाना-अड़की,  
..... जिला-खूँटी के नाम से मौजा-.....थाना नं०.....खाता सं०.....  
प्लॉट सं०..... रकबा-.....लगान ..... रूपये अलावे  
शेष पर भूमि बन्दोबस्ती को नियमितीकरण की स्वीकृति दी जाती हैं

तदनुसार संबंधित राजस्व उप निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि पंजी-II में तदनु रूप ऑनलाईन प्रविष्टि करेंगे।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।

अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा मौजा-.....  
..... थाना नं०.....के पंजी- II भौलुम (VOL-.....) के पृष्ठ संख्या-.....पर  
ऑनलाईन प्रविष्टि कर आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती हैं  
अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

अंचल अधिकारी,  
अड़की।